

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी0सी0 / 1786-81

/2020-21

दिनांक 08/12/2021

प्रबन्धक,

एल0के0इण्टरनेशनल स्कूल

एन0एच0-24 वेवसिटी काजीपुरा

गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-12-2020 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक सं0 शि0स0/10466-67/2019-20 दिनांक 18-04-2020 द्वारा विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से नवीन मान्यता प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 22-12-2020 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या- 196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय की दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0स0 मान्यता-टी0सी0 /

/2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

For L.K. International School

Secretary

Principal
L.K. International School
Affiliated to CBSE, New Delhi
Vide Code No. 2130905
Ghaziabad

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी0सी0 / 7788-29

/2020-21

दिनांक 08/12/2020

प्रबन्धक,


एल0के0इण्टरनेशनल स्कूल

एन0एच0-24 वेवसिटी काजीपुरा

गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-12-2020 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक सं0 शि0स0/10468-70/2019-20 दिनांक 18-04-2020 द्वारा विद्यालय को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से नवीन मान्यता प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 22-12-2020 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय की दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।



(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।


पृ0स0 मान्यता-टी0सी0 /

/2020-21 तददिनांक


प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।


For L.K. International School

Secretary



Principal

L.K. International School
Affiliated to CBSE, New Delhi
Vide Code No. 2130905
Ghaziabad